

194/2014/15

8-04-15

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ-: नीलामी सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की निम्नलिखित योजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों पर कम्पोजिट खाद की "नीलामी जहाँ है जैसे है" के आधार पर निहित प्राविधानुसार दिनांक 06.04.2015 को 12.00 बजे मेरठ विकास प्राधिकरण सभाकक्ष में की जायेगी।

एकत्रित खाद का विवरण

क्र०सं०	योजना का नाम	एकत्रित खाद की अनुमानित मात्रा
1	पल्लवपुरम् आवासीय योजना फेज-2	300 घनफुट
2	पाण्डव नगर आवासीय योजना	500 घनफुट
3	श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेज-1	100 घनफुट

शर्त :-

- 1- नीलामी में भाग लेने से पूर्व एकत्रित खाद का निरीक्षण उक्त योजनाओं में संचलित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक किया जा सकता है।
- 2- नीलामी से पूर्व बोलीदाताओं को रु० 5,000.00 (रु० पाँच हजार मात्र)का नगद अथवा एन.एस.सी./एफ.डी. बतौर जमानत राशि में रूप में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक कर जमा करनी होगी।
- 3- उच्चतम बोलीदाता को नीलामी में बोली गई धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि उसी समय तथा अवशेष धनराशि स्वीकृति उपरान्त तीन दिन के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। तदोपरान्त ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से खाद को ले जाया जा सकेगा।
- 4- उच्चतम बोलीदाता को स्वीकृति के 15 दिन के अन्दर स्थल से खाद उठाना होगा।
- 5- उच्चतम बोलीदाता को खाद को ले जाने का समस्त खर्च लोडिंग सहित स्वयं वहन करना होगा।
- 6- यदि किसी भी प्रकार की कोई कर देयता आदि होगी तो बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।
- 7- उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए बोली स्वीकृत / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

मुख्य अभियन्ता,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

प्रतिलिपि:-

- 1- उपाध्यक्ष/सचिव/वित्त नियंत्रक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कम्प्यूटर अनुभाग को निविदा सूचना प्राधिकरण की वैबसाइट पर डालने हेतु।
- 3- अवर अभियन्ता-रख-रखाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य अभियन्ता,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ